हिन्दी की प्रगति : समस्याएं एवं समाधान

मानव संस्कृति में भाषा की अहम भूमिका होती है। विश्व भर में लगभग तीन हजार से भी अधिक भाषाएं बोली व जानी जाती हैं। किसी भी देश की प्रगति व उत्थान के लिए उसकी अपनी एक भाषा का होना अति आवश्यक है। देश की प्रगति व विकास में भाषा की अहम महत्ता होती है। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए भाषा का होना अति आवश्यक है क्योंकि भाषा ही किसी मनुष्य के मन मस्तिष्क का दर्पण होती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भाषा को "आत्मा का ज्ञान" की संज्ञा प्रदान की है। भाषा से ही मनुष्य का परिचय होता है। इसलिए कहा है कि "वाणी के बिना मनुष्य और भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है।"

राजभाषा हिन्दी - हमारे देश में हिन्दी राजभाषा के रूप में जानी जाती है। यह हिन्दी भाषा के लिए गौरव की बात है। हमारे भारत जैसे विशाल देश में जहां अनेक धर्म, सम्प्रदाय, जाति तथा भाषा के लोग एकत्र होकर रह रहे हैं उस देश के लिए एक ही संविधान बनाया और अपनाया गया है। आजादी के बाद 26 नवम्बर, 1949 को संविधान स्वीकृत किया गया तथा जनवरी 1950 को लागू किया गया और दिनांक 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। तब से आज तक देश भर में 14 सितम्बर का दिन 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

हिन्दी की प्रगति - हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाने के बाद हिन्दी की उन्नति/प्रगति का विशेष ध्यान रखा गया। हमारी केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को अधिक से अधिक मात्रा में सरकारी व गैर सरकारी काम काजों को हिन्दी माध्यम से करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा सभी अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी हिन्दी के प्रति रूचि पैदा की गई जिससे कि हिन्दी की प्रगति व विकास हो सके।

हिन्दी भाषी राज्यों ने अपने प्रदेश में हिन्दी के विकास व प्रगति के लिए अपने कार्यालयों में अधिक से अधिक हिन्दी के निर्देश दिए तथा सभी राज्यों ने अपने प्रदेश में स्कूल, कालेजों, विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी रखा जिससे हमारी जनता में हिन्दी के प्रति रूचि पैदा हो तथा जनता ने अधिकाधिक मात्रा में अपने सभी दैनिक कार्य, पत्र व्यवहार आदि के लिए हिन्दी माध्यम ही अपनाया।

हिन्दी की प्रगति व विकास के लिए बुक स्टालों पर प्रचुर मात्रा में हिन्दी की पुस्तकों को प्रकाशित करवाया गया और उन्हें अधिक रूचि पूर्ण तथा सचित्र प्रकाशित किया गया। आज हमारे देश में बच्चों के लिए हिन्दी में कॉमिक्स, नावल तथा फिल्मों और दूरदर्शन के माध्यम से हिन्दी को अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। किसी भी देश में वहां की जनता में जो भी बहुतायत से भाषा बोली व पढ़ी जाती है वह मातृभाषा होती है जैसे हमारे देश में आज हिन्दी है। हिन्दी अत्यन्त सरल भाषा है इसलिए आज हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग हिन्दी से परिचित है एवं उसका सहजता से प्रयोग करता है परन्तु इसकी प्रगति व विकास आजादी के बाद उतनी अधिक नहीं हो पाई जितनी की होनी चाहिए थी।

हिन्दी की प्रगति में समस्याएं - आजादी के 46 वर्षों के बाद भी आज हमारे देश में हिन्दी की प्रगति में अनेक बाधाएं हैं अर्थात आज हमारे देश में हिन्दी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई जहां पर इसे होना चाहिए था। ऐसे

चन्द्रशेखर, परिचर

क्या कारण हैं तथा कौन सी ऐसी समस्याएं हैं कि आजादी के बाद भी हिन्दी आज पिछड़ी हुई है। इसके लिए हमें विभिन्न समस्याओं पर ध्यान देना होगा।

1- ***अंग्रेजी का अधिक बोलबाला*** - आज हमारे देश में कुल जन संख्या के केवल 3 प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी जानते हैं और ये लोग अंग्रेजी में कार्य करके तथा अंग्रेजी में बोलचाल कर हमारे देश की जनता को अपनी और आकर्षित कर रहे हैं जिससे हमारे देश की जनसंख्या आज उन 3 प्रतिशत लोगों की ओर मुड़ रही है तथा उनके पीछे-पीछे चल रही है।

2- ***अंग्रेजी स्कूलों के प्रति मोह*** - आज देश में जिधर देखो उधर ही अंग्रेजी के प्रति अधिक मोह पैदा हो गया है। देश के लगभग सभी राज्यों के प्रमुख नगरों, कस्बों में अंग्रेजी स्कूलों की बाढ़ सी आई हुई है। प्रत्येक दिन नये नये स्कूलों का विज्ञापन पढ़ने को मिल जाता है। ये स्कूल बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे आज हमारे देश की ज्यादातर जनता इन स्कूलों के प्रति अधिक रूचि ले रही है तथा अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इन स्कूलों में शिक्षा दिलाना चाहती है।

3- ***सरकारी कामकाज में हिन्दी की उपेक्षा*** - हमारे देश का यह दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि हमारे देश की केन्द्र व राज्य सरकारों के समय समय पर निर्गत आदेशों के बावजूद आज सरकारी कर्मचारी कार्य को अंग्रेजी माध्यम से करने में अपनी शान समझते हैं। कर्मचारी हिन्दी को नीरस व उबाऊ मान लेते हैं और सरकार द्वारा दिए टाइपराइटरों, हिन्दी आशुलिपिकों व हिन्दी कम्प्यूटरों आदि के होने के बाद भी आज हिन्दी में काम करना पसन्द नहीं करते। वे हिन्दी बोलते और समझते हैं दफतरों में भी प्रति दिन बोल चाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं लेकिन जब सरकारी कार्य का प्रश्न उठता है तो वह अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। ऐसी ही मानसिकता उच्च वर्ग की भी है।

4- ***सामाजिक कार्यों में हिन्दी की उपेक्षा*** - हमारे देश में, जहां की जनता अधिकतर हिन्दी जानती, पढ़ती एवं बोलती है, सामाजिक कार्य में हिन्दी की जगह अंग्रेजी में कार्य करने का प्रयत्न करती है, यदि शादी का निमंत्रण छपवाना है तो भले ही अंग्रेजी का ज्ञान न हो परन्तु शादी का कार्ड अंग्रेजी में ही छपवाने में अपनी शान समझी जाती है।

5- ***देश में विभिन्न भाषाओं का होना*** - देश में अनेक भाषाओं के बोलने व जानने वाले लोगों के रहते हुए प्रत्येक राज्य के लोग अपनी-अपनी भाषाओं पर गर्व करते हैं। प्रत्येक राज्य हिन्दी के प्रति रूचि नहीं रखता है तथा वह तो केवल अपने राज्य की भाषाओं पर ही अधिक ध्यान देता है और उसे ही जानने व पढ़ने को अच्छा समझता है।

6- ***हिन्दी में तकनीकी पुस्तकों का अभाव*** - हिन्दी में तकनीकी पुस्तकों के प्रर्याप्त संख्या में नहीं होने से भी आज हमारे देश में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अत: तकनीकी पुस्तकें हिन्दी माध्यम से प्रकाशित करवायी जानी चाहिए। जितनी भी तकनीकी पुस्तक अंग्रेजी में उपलब्ध हैं उन्हें आज तक हिन्दी में प्रकाशित करने का प्रयास लगभग न के बराबर है। यही कारण है कि आज भी हिन्दी में तकनीकी पुस्तकों का अभाव बना हुआ है।

हिन्दी प्रगति की समस्याओं का समाधान - जहां एक ओर ऊपर हिन्दी की प्रगति की समस्याएं बताई गई हैं वहीं दूसरी ओर हिन्दी की प्रगति के लिए समाधान भी किये जा सकते हैं:-

1- **हिन्दी माध्यम से स्कूलों में शिक्षा की अनिवार्यता** - देश में अधिक संख्या में हिन्दी माध्यम से शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाये तथा सभी स्कूलों तथा कालेजों और विश्वविद्यालयों में हिन्दी के प्रति अधिक रूचि पैदा की जाये तथा शिक्षा का माध्यम भी केवल हिन्दी हो।

2- **बच्चों में हिन्दी के प्रति रूचि पैदा करना** - सभी माता-पिता का यह कर्तव्य बन जाता है कि अपनी मातृ भाषा हिन्दी के प्रति बच्चों में रूचि पैदा करें तथा बच्चों को हिन्दी माध्यम में शिक्षा दिलवाएं और घर व बाहर समाज में बच्चों को हिन्दी बोलने के लिए प्रेरित करें।

3- **सरकारी कार्य में हिन्दी की अनिवार्यता** - देश की सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं में हिन्दी अनिवार्यता के लिए आदेश लागू कर देना चाहिए। कार्यालयों में हिन्दी टंकण तथा हिन्दी आशुलिपिकों की ही केवल नियुक्ति होनी चाहिए। कर्मचारी अपने समस्त कार्य केवल हिन्दी माध्यम से ही करें, हिन्दी में ही पत्र व्यवहार हों तथा हिन्दी न जानने वाले कर्मचारी को हिन्दी की शिक्षा देकर उन्हें निपुण किया जाये।

4- **सामाजिक कार्यों को हिन्दी में करना** - देश में सभी सामाजिक कार्यों को हिन्दी में करने की प्रेरणा दी जाये। शादी के निमंत्रण कार्ड तथा बच्चों के जन्म दिन आदि एवं जहां सभी लोग एकत्र होते हैं वहां यह ध्यान दिया जाये कि वार्तालाप इत्यादि का माध्यम हिन्दी ही हो।

5- **सेमिनार गोष्ठी का आयोजन** - सेमिनार संगोष्ठी आदि को हिन्दी में करवाया जाये तथा विदेश से आने वाले लोगों को प्रेरित किया जाये कि वे अपनी मातृ भाषा के साथ-साथ हिन्दी सीखकर इस देश में प्रवेश करें। इससे हम विदेशों में अपनी पहचान बना सकते हैं।

उपरोक्त सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि हिन्दी के प्रति जनता को स्वयं रूचि पैदा करनी होगी। किसी ने ठीक ही कहा है:

'निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति के मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल'।।

अर्थात किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए उसकी अपनी भाषा का होना अनिवार्य है। अपने देश में हिन्दी माध्यम से ही तथा हिन्दी को अधिक पद प्रतिष्ठा देकर तथा इसका प्रसार व प्रचार करके ही देश को अधिक उन्नतशील एवं समृद्ध कर सकते हैं।

उत्तिष्ठत, जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत।

उठो, जागो, और अपनी क्षमताओ को पहचानो !

-कठोपनिषद्